ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज को सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज़ की स्वीकृति मिली

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा) अनेक झंझावातों से जूझते हुए एनएच तीन स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल ने अपने कदम एमबीबीएस कोर्स तक ही सीमित नहीं रखे। दो वर्ष पूर्व यहां 18 विभागों में पोस्ट ग्रेजुएशन (पीजी)कोर्स शुरू किए गए थे और अब इस संस्थान को सुपरस्पेशलिटी कोर्सेज़ शुरू करने की स्वीकृति मिल गई है। यह स्वीकृति किसी राजनीतिक अथवा जुगाड़बाजी से नहीं मिली है। इसके लिए संस्थान को बीते सप्ताह नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी)द्वारा की गई कड़ी जांच से गुजरना पड़ा था।

किसी भी संस्थान को इस प्रकार की स्वीकृति प्रदान करने से पहले एनएमसी ये देखता है कि अस्पताल में मरीजों की संख्या कितनी है तथा इलाज एवं कोर्स करने वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए फैकल्टी की योग्यता एवं संख्या पर्याप्त है या नहीं। इसके अलावा उपकरणों, प्रयोगशालाओं व ऑपरेशन थियेटरों, आईसीयू आदि के लिए तय मानदंड पर खरा उतरना जरूरी होता है। जाहिर है संस्थान को सभी मानदंडों पर खरा पाने के बाद ही एनएमसी ने यहां पर डीएम कार्डियोलॉजी की दो, क्रिटिकल केयर मेडिसिन की तीन, एमसीएच पीडियाट्रिक सर्जरी की दो, एमसीएच प्लास्टिक एंड रीकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की तीन और एमसीएच न्यूरो सर्जरी की दो सीटें स्वीकृत की हैं।

इसके अलावा पीजी की सीटों में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की गई है। पीडियाट्रिक्स की तीन से बढ़ा कर पांच, रेडियो डायग्नोसिस की तीन से पांच, एमडी जनरल मेडिसिन की चार से आठ और एमडी एनिस्थीसियोलॉजी की तीन से बढ़ाकर सात सीटें की गई हैं।

इसके अलावा पांच नए पीजी कोर्स शुरू करने की स्वीकृति भी मिली है। फार्माकोलॉजी में तीन, फिजियोलॉजी में तीन, फोरेंसिक मेडिसिन में दो, इमरजेंसी मेडिसिन में चार और एनाटॉमी में तीन सीटें स्वीकृत की गई हैं। बेशक, इन पांचों ब्रांचों का मरीजों से कोई सीधा ताल्लुक नहीं रहता परंतु डॉक्टरी पढ़ाने के लिए इन विषयों के प्रोफेसरों की कमी को दूर करने के लिए इनकी आवश्यकता सदैव बनी रह सकती है। इनके अलावा अन्य विभागों में पीजी व सुपरस्पेशलिटी कोर्स की सीटें बढ़ने से मरीजों को अत्यधिक लाभ होने वाला है। इन सीटों पर पढ़ाई करने वाले केवल छात्र ही नहीं होते वे विशेषज्ञ बनने वाले डॉक्टर भी होते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए ये छात्र अपने प्रोफेसरों की कड़ी निगरानी के बीच इलाज भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं और इस काम में सदैव इतने सतर्क रहते हैं कि किसी प्रकार की चूक होने से बचते हैं। अक्सर देखा जाता है कि ये डॉक्टर वार्ड में मरीजों के बीच और पढ़ाई के लिए प्रोफेसर के साथ ही रहते हैं। डॉक्टरों की इस बढ़ी संख्या को देखते हुए अस्पताल के प्रथम तल पर खाली पड़ी एक जगह पर पांच कमरों का एक अतिरिक्त ब्लॉक भी बना दिया गया है जिससे मरीजों की भीड़ कुछ कम हो पाएगी। ऐसा भी नहीं है कि एनएमसी ने यहां सबकुछ अच्छा ही अच्छा देखा हो। यहां के काम काज से तो वे पूरी तरह संतुष्ट थे लेकिन जगह की कमी पर उन्होंने चिंता व्यक्त की। इसके जवाब में उन्हें बताया गया कि शीघ्र ही 500-600 बेड के एक नए सुपरस्पेशलिटी अस्पताल की इमारत का काम शुरू होने वाला है। यद्यपि इसके निर्माण की बातें तो बीते डेढ़-दो साल से चल रही हैं और पिछले दिनों यहां दौरे पर आए केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव इसे शीघ्र मूर्त रूप देने की बात भी कह गए थे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अब इस प्रोजेक्ट को कॉरपोरेशन के एजेंडा में जगह मिल चुकी है।

जिम्मेदार अधिकारी नहीं जानते ब्लड बैंकों में रक्त का क्या हो रहा है

एफडीए अधिकारियों को नहीं मालूम रक्तदान के आंकड़े

मज़दूर मोर्चा (फ़रीदाबाद) रक्तदान में प्रदेश में अव्वल आने का दावा करने वाले खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी रक्तदान तो क्या, ब्लड बैंकों का भी हिसाब नहीं रखते। ये अधिकारी इतने 'भोले' हैं कि कभी किसी ब्लड बैंक से उसका स्टेटमेंट नहीं मांगते। कभी साल-छह महीने में अगर ब्लडबैंक का निरीक्षण करने पहुंचे भी तो ब्लड बैंक प्रबंधन जो आंकड़े उपलब्ध करा देता है चुपचाप लेकर चले आते हैं लेकिन इनका रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। मांगे जाने पर कहते हैं कि सही आंकड़े तो नेशनल एड्स कंट्रोल आर्गनाइजेशन (नाको) के पास होंगे, हम तो केवल कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं।

जिले में चलने वाले सभी ब्लड बैंकों की निगरानी और उन पर लगाम रखने का जिम्मा खाद्य एवं और औषधि प्रशासन विभाग पर है। विभाग के जिला प्रमुख करन गोदारा को यह नहीं मालूम कि जिले में कुल कितने ब्लड बैंक कार्यरत हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि रेडक्रॉस सोसायटी का अपना ब्लड बैंक नहीं है। वह कहते हैं कि केवल वही संस्था रक्तदान करा सकती है जिसका अपना ब्लड बैंक हो इसीलिए रेडक्रॉस का अपना ब्लड बैंक है। सच्चाई यह है कि रेडक्रॉस सोसायटी केवल ब्लड बैंकों की सुविधा के लिए रक्तदान कैंप का आयोजन करती है।

एफडीए हरियाणा मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार जिले में बीके सिविल अस्पताल सहित कुल 15 ब्लड बैंक हैं। इनमें से संत भगत सिंह जी महाराज चेरिटेबल हॉस्पिटल का ब्लड बैंक और रोटरी ब्लड बैंक चेरिटेबल ट्रस्ट धमार्थ हैं। डिवाइन चेरिटेबल ब्लड बैंक निजी है जबकि अन्य निजी अस्पतालों के अपने ब्लड बैंक हैं। रेडक्रॉस सोसायटी का कोई ब्लड बैंक नहीं है।

खाद्य एवं औषिध प्रशासन विभाग के नियमानुसार प्रत्येक ब्लड बैंक को हर महीने की अपनी रिपोर्ट जिला मुख्यालय को देनी होती है। इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि

करन गोदारा, सीनियर ड्रग कंट्रोल आफिसर

ब्लड बैंक की क्षमता क्या है। कितने लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया, एक्सचेंज में कितना रक्तदान हुआ। कितने रक्तदान अपूर्ण हुए। वर्तमान में किस-किस ग्रुप का कितना रक्त स्टोर है। अवधि समाप्त होने के कारण कितना रक्त एक्सपायर हुआ और उसे मानकों के अनुसार नष्ट किया गया।

एफडीए अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे समय समय पर इन ब्लड बैंकों का निरीक्षण कर रिकॉर्ड और स्टॉक का मिलान करें। खास कर यह जांच करें कि स्टोर किए गए रक्त में से कितना एक्सपायर होने के कारण नष्ट किया गया। यदि बिना इस्तेमाल किए ही रक्त नष्ट किया गया तो उसका उचित स्पष्टीकरण ब्लड बैंक प्रबंधन से मांगा जाना चाहिए।

आश्चर्य की बात है कि वर्ष के पांच महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक एफडीए जिला मुख्यालय में किसी भी ब्लड बैंक की रिपोर्ट नहीं पहुंची है। करन गोदारा कहते हैं कि ब्लड बैंकों का निरीक्षण करने का जिम्मा उनका और उनके स्टाफ का है लेकिन इस वर्ष अभी तक किसी भी ब्लड बैंक का निरीक्षण नहीं किया गया है। उनके मुताबिक जब टीम ब्लड बैंक की जांच करने जाती है तभी रिकॉर्ड देखती है और प्रबंधन से रिपोर्ट ले लेती है। पिछले साल किए गए निरीक्षणों की रिपोर्ट मांगे जाने पर उनका कहना था कि रिकॉर्ड तो नहीं है लेकिन नाको में पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा क्योंकि सभी ब्लड बैंक वाले वहां अपना रिकॉर्ड भेजते हैं। ब्लड बैंकों की जांच में इन अधिकारियों की यह लापरवाही भ्रष्टाचार का संकेत है।

प्रदेश में रक्तदान में अव्वल रहने का आंकड़ा भी संदिग्ध लगता है। ब्लड बैंक से केवल तब ही रक्त दिया जाता है जब बदले में रक्त लिया जाए। सिर्फ अज्ञात मरीजों, घायलों के लिए बिना एक्सचेंज के रक्त उपलब्ध कराने का प्रावधान है। कुछ खास परिस्थितयों में कैंसर, हीमोफिलिया और थैलासीमिया रोगियों के लिए भी बिना एक्सचेंज के रक्त दिया जा सकता है, बाकी परिस्थितयों में बिना एक्सचेंज के रक्त नहीं दिया जाता है। यदि ऐसा है तो ब्लड बैंकों में रक्त की कमी नहीं होती।

तीन साल में नहीं ठीक हुए हालात

फरीदाबाद का रक्तदान में अव्वल रहने लेकिन ब्लड बैंकों में पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं होना नई बात नहीं है। वर्ष 2020 में भी शिक्षा एवं स्वास्थ्य कमेटी की चेयरपर्सन सीमा त्रिखा के सामने थैलासीमिया के मरीजों को रक्त नहीं मिलने का मुद्दा उठा था। डीजी आयुष की जनसुनवाई कार्यक्रम में थैलासीमिया मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया था कि थैलासीमिया के नाम पर आए दिन ब्लड डोनेशन कैंप लगाए जाते हैं लेकिन मरीजों को ही खून नहीं दिया जाता। सीमा त्रिखा ने माना था कि ब्लड डोनेशन कैंप के नाम पर गड़बड़ी हो रही है और इसकी जांच होनी चाहिए। ब्लड डोनेशन से मरीजों को रक्त चढ़ाए जाने तक का ट्रैकिंग सिस्टम तैयार कराने का दावा सीमा त्रिखा ने किया था। तीन वर्ष गुजरने के बाद ट्रैकिंग सिस्टम तो छोड़िए एफडीए रिकॉर्ड तक मेनटेन नहीं कर पा रहा है।

संस्थान की उपलब्धियों को डीन का पागलपन समझता है मुख्यालय

ईएसआई कारपोरेशन मुख्यालय में बैठे जीडीएमओ गिरोह की मूल धारणा यही रही है कि वसूली तो मजदूरों से जितनी हो सके करो लेकिन उसके बदले जब उन्हें कुछ देने की बात आए तो आंय-बांय-शांय करके निकल जाओ, मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनने से पहले ऐसा ही कुछ यहां चल रहा था, केवल यहीं नहीं लगभग पूरे देश में कारपोरेशन का यही ड्रामा आज भी चल रहा है।

डीन डॉ. असीम दास : ये मेरा दीवानापन है या काम करने का सुरूर

इस गिरोह से जाने अनजाने एक बड़ी गलती यह हो गई कि डॉक्टर असीम दास जैसे जुनूनी शख़्स को यहां डीन बना कर बैठा दिया, उनको काम करने से रोके रखने अथवा उनकी लगाम कस कर रखने के लिए गिरोह ने अपने एजेंट के तौर पर एमएस (चिकित्सा अधीक्षक) का पद अपने हाथ में रखा था। तमाम वित्तीय शक्तियां उसी के पास रहती थीं। जाहिर है ऐसे में डीन सदैव कुछ भी कर पाने में अपने को असमर्थ समझता था। लेकिन हतोत्साहित होने की अपेक्षा डॉ. असीम दास ने अपनी कर्मठता एवं कार्य कुशलता के बल पर न केवल तमाम वित्तीय शक्तियां बतौर डीन अपने हाथ में ले लीं बल्कि एमएस का पद भी इस गिरोह के शिकंजे से निकाल लिया, अब वरिष्ठ प्रोफेसर ही एमएस के पद पर तैनात होता है।

जीडीएमओ गिरोह पैसा बचाने के लिए सदैव रेफरल रोकने की बात तो करता है परंतु चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने एवं उन्नत करने के लिए होने वाले खर्च पर भी रोक लगाए रखने का भरसक प्रयास करता है। उनकी धारणा यह रहती है कि चिकित्सा सेवाओं का विस्तार करने की क्या ज़रूरत है। जिस तरह से पहले मज़दूरों को आंय-बांय-शांय करके निपटाया जाता था वैसे अब भी निपटाया जा सकता है लेकिन डॉ. असीम दास को यह स्वीकार नहीं। वे बेहतर से बेहतरीन चिकित्सा सेवा उन मज़दूरों को देना चाहते हैं जिनके वेतन से कॉरपोरेशन के कोष में लगातार वृद्धि होती जा रही है। मुख्यालय की पैसा खर्च न करने की नीति के चलते 31 मार्च 2022 को कॉरपोरेशन के कोष में 1 लाख 45 हजार करोड़ रुपये इकट्ठे हो चुके थे जो आज 1 लाख 55 हजार करोड़ से अधिक हो सकते हैं। जाहिर है कोष में यह वृद्धि मज़दूरों को वांछित चिकित्सा सेवाएं प्रदान न करने की वजह से ही हो रही है।

नि:संदेह यहां की चिकित्सा सेवाओं में आश्चर्यजनक प्रगति के चलते रेफरल बिल में बड़ी भारी कमी आई है। यहां की उन्नत सेवाओं का लाभ न केवल फरीदाबाद बल्कि पूरे एनसीआर व दूरदराज के मरीज भी उठाकर लाभान्वित हो रहे हैं। इसके बावजूद भी मुख्यालय डॉ. दास को विफल करने के भरसक प्रयास में जुटा है। डायलिसिस, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और कैथ लैब आदि की अति विशिष्ट सेवाओं को चलाने के लिए मुख्यालय ने न तो कोई टेक्नीशियन और न ही कोई पैरा मेडिकल स्टाफ के पद स्वीकृत किए हैं। जाहिर है इसका असर सेकेंडरी चिकित्सा सेवा पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर संस्थान आज पैरा मेडिकल स्टाफ की भयंकर कमी से जूझ रहा है और मुख्यालय में बैठे निठल्ले अधिकारी मात्र तमाशबीन बने तमाशा देख रहे हैं।

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक सतीश कुमार ने अपने स्वामित्व में एजीएस पब्लिकेशन्स, डी-67, सैक्टर-6, नोएडा से मुद्रित करवा कर 708 सैक्टर-14 फरीदाबाद से प्रकाशित किया।